निगरानी 2620-PBR/14 इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित करने हेतु संहिता की धारा 29 के तहत प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 30 के तहत अंतरण हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष दिनांक 31–7–04 को प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण दिनांक 5–8–04 को नियत किया गया उक्त दिनांक को आवेदक अधि. उपस्थित हुए लेकिन प्रकरण दिनांक 11–8–04 के लिए नियत किया गया । दिनांक 11–8–14 को प्रकरण 25–8–04 के लिए नियत किया गया है । जिलाध्यक्ष केवल सोमवार के दिन ही प्रकरणों की सुनवाई करते हैं । उनका कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है, जिससे आवेदक को न्याय मिलने की संभावना नही है । उक्त आधार पर आवेदक अधि द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित करने हेतु अनुरोध किया गया । शासकीय अधि. द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका निराकरण अभी होना है, अतः इस न्यायालय में निगरानी का कोई औचित्य नहीं है । 2– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया । चूंकि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष अंतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो लंबित है ऐसी	१९८

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.

तेजूबाई आदि विरूद्ध शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – ~~निगरानी~~ रिविजन 2620-PBR/14 जिला – इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि कलेक्टर द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किए जाने या तीन माह जो भी पहले हो तक अनुविभागीय अधिकारी, उनके समक्ष लंबित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखें । जिलाध्यक्ष को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण यथाशीघ्र करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

दि. 19.8.14 को
पीठासीन अधिकारी को
प्रस्तुत 5/5/2
19-8-14

IN THE COURT OF HON'BLE BOARD OF REVENUE, GWALIOR

निगरानी 2620 - PBR/14

1. TEJU BAI W/O LATE SHRI BHERU SINGH
AGE – 79 YEARS
OCCUPATION – HOUSE WIFE

श्री एस.के. अवस्थी एड.
द्वारा आज दि. 19.8.14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2. SHRI BAJE SINGH
S/O LATE SHRI BHERU SINGH
AGE – 50 YEARS
OCCUPATION – FARMER

3. SHRI CHHATAR SINGH
S/O LATE SHRI BHERU SINGH
AGE – 44 YEARS
OCCUPATION – FARMER

4. SHRI RAM SINGH
S/O LATE SHRI BHERU SINGH
AGE – 40 YEARS
OCCUPATION – FARMER

ALL R/O VILLAGE NIPANIA
TEHSIL & DISTRICT INDORE

20.8.14

THROUGH THEIR ATTORNEY
VINDESHWARI REAL ESTATE PVT.LTD.
THROUGH ITS DIRECTOR
SHRI HEMANT YADAV
S/O SHRI AYODHYA PRASAD YADAV
63-C, MECHANIC NAGAR, BHAMORI
INDORE (M.P.) - APPLICANTS

V/s

1 - S.D.O. (Revenue) Indore.

2. SMT. RITU SINGHAL
W/O SHRI NEERAJ SINGH
R/o 5, SOUTH TUKOGANJ
INDORE (M.P.)

3. SMT. RUPALI KHEMKA
W/O LAXMIKANT KHEMKA
R/o 5, SOUTH TUKOGANJ
INDORE (M.P.)

4. SHRI RUSTAM S/O NABI BAKSH
R/O VILLAGE KHAJRANA
TEHSIL & DIST. INDORE - NON-APPLICANTS